न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 04/20

GCMS NO-2020/00013 सन् 2020

बउनवानीः—1. अफसार पुत्र बशीर जाति मुसलमान निवासी ग्राम सूरवाल तह0 संवाईमाधोपुर

बनाम

1. खुर्शीद पुत्र बशीर जाति मुसलमान निवासी ग्राम सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
2. सत्तार पुत्र बशीर जाति मुसलमान निवासी ग्राम सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
3. सिद्दिक खॉन पुत्र शब्बीर खॉन जाति मुसलमान निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
4. शफीक खॉन पुत्र शब्बीर खॉन जाति मुसलमान निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
5. सिराज खॉन पुत्र शब्बीर खॉन जाति मुसलमान निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
6. इसरार खॉन पुत्र शब्बीर खॉन जाति मुसलमान निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
7. इमरान खॉन पुत्र शब्बीर खॉन जाति मुसलमान निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
8. अबरार खॉन पुत्र शब्बीर खॉन जाति मुसलमान निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
9. रूकसाना पुत्री शब्बीर खॉन जाति मुसलमान निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
10. शफीका पुत्री शब्बीर खॉन जाति मुसलमान निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
11. सदिका पुत्री शब्बीर खॉन जाति मुसलमान निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
12. सद्दीका पत्नि शब्बीर खॉन जाति मुसलमान निवासी सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
13. बैंक ऑफ बडौदा शाखा सूरवाल जरिये शाखा प्रबंधक सूरवाल तह0 सवाईमाधोपुर
14. तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1187 दिनांक 19.01.1977 वाके ग्राम सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः—1. श्री अब्दुल बहाव — वकील अपीलान्ट

2.श्री इमरान खान — वकील रेस्पो0 संख्या 1—12

—: निर्णय :— दिनांक 13.8.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1187 दिनांक 19.01.1977 वाके ग्राम सूरवांल तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील तस्दीक करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा मृतक बशीर खॉ के वारिसान की कोई जॉच नही की गयी है ओर नामा0 जैरे बहस भरने के प्रोसीजर को नही अपनाया और सरसरी तरीके से ही नामा0 तस्दीक कर दिया जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि जब बशीर खॉन का देहान्त हुआ तब अपीलान्ट नाबालिग था लेकिन रेस्पो. जो कि चालाक किस्म के व्यक्ति है ने अपीलान्ट के होते हुए भी चालाकी से उन्होने अपने ही नाम नामा0 जैर अपील तस्दीक करवा लिया जबकि उक्त नामा0 अपीलान्ट के नाम भी [illegible] होना [illegible]। यह तर्क भी दिया कि मृतक बशीर के चार पुत्र कमश शब्बीर,खुर्शीद,सत्तार एवं अपी[illegible] अ[illegible] थे। जिनमे से शब्बीर फोत हो चुका है जिसके वारिसान रेस्पो. संख्या 3 लगायत 12 है। [illegible] के पिता बशीर की ग्राम सूरवाल पटवार हल्का सूरवाल ए में आराजीयात खसरा0 118[illegible],1246,1247,1263,125[illegible]9, 2298, 2300, 2301,2968/6566,2969 कुल किता 11 कुल [illegible]बा 2.20 है0 स्थित है [illegible]मे अपीलान्ट व रेस्पो0 का 1/4—1/4 हिस्सा बराबर—बराबर है। इसी प्रकार सूरवाल ए के ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:52 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

2302, 2304 कुल रकबा 1.24 है0 मे भी अपीलान्ट एवं रेस्पो0 का हिस्सा 1/4 बराबर–बराबर है। तथा सूरवाल बी में स्थित ख0न0 3902,3983 कुल किता 2 कुल रकबा 0.11 है0 मे भी हिस्सा 1/4 बराबर है तथा इसी अनुसार अपीलान्ट अपने हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन खातेदारी मे नाम नही है। खातेदारी मृतक शब्बीर के वारिसान व खुर्शीद तथा सत्तार के नाम ही है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा मृतक बशीर के वारिसान की जॉच किये बिना ही नामा0 जैर अपील तस्दीक किया है जो खारिज योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 5.12.2019 को पटवारी के पास के. सी.सी. की पत्रावली तैयार करवाने हेतु जाने पर प्राप्त हुई है । जानकारी प्राप्त होने पर नकल प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 31.12.2019 को नकल प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश की गयी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 12 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 1 लगायत 12 मृतक बशीर के वारिसान है तथा मृतक बशीर की विरासत का नामा0 हम सभी के नाम तस्दीक होना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1187 दिनांक 19.10.1977 दर्ज फैसल करते समय अपीलान्ट का नाम दर्ज नही किया है। यदि अब अपीलान्ट का नाम हमारे पिता बशीर की विरासत मे दर्ज किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है।

विद्वान वकील उभयपक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पहुॅचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1187 दिनांक 19.01.1977 वाके ग्राम सूरवाल अपीलान्ट एवं रेस्पो. 1,2 के पिता एवं रेस्पो. संख्या 3 लगायत 12 के दादा बशीर के फोत होने पर उसकी विरासत का दर्ज फैसल किया है किन्तु उक्त नामा0 दर्ज फैसल करते समय अपीलान्ट का नाम छूट गया है। अपीलान्ट का नाम उसके पिता बशीर की विरासत मे जोडने के लिए रेस्पो0 द्वारा भी सहमति प्रकट की गयी है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनःसुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट तथा रेस्पो0 के अतिरिक्त मृतक बशीर के अन्य कोई वारिसान हो तो उनको भी सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों को रिकार्ड पर लिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:52 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner